

क्रिमा जोकर शामिल पत्रावली क्रिमा गरा तथा
गैरका की गैरच प्रोफोर्ट द्वारा परकारों 1488 जज
से लजब की गई।

पत्रावली का 2 भाग हवन केवलोन
क्रिमा अपीलान्ट के द्वारा पर अपील ग्राम पंचायत
पालका के आदेश दिनांक 20.8.11 के विरुद्ध
दिनांक 2.2.12 को प्रस्तुत की है, जिसकी
विलम्ब की अवाधि की इका करने हेतु माफ
अधिकार प्रदाय की धारा 5 का अर्चना - पत्र प्रस्तुत
क्रिमा है, जो स्वीकार क्रिमा गरा विलम्ब
की अवाधि का शासन क्रिमा जाता है।

मूल नामां सं 1488 वाले ग्राम -
पालका के केवलोन से पाया कि पर नामां
मुलाकेक लभनामा दि 15.6.11 अयो. टोलील
पुन राग स्वरूप, भगवतेई पुन अंगारतेई कांम अदी
के परत में दर्ज क्रिमा गरा है, जिसका निर्णय
सरपंच ग्राम पंचायत पालका ने दि 20.8.2011
को क्रिमा, जिसमें केवलोन क्रिमा है कि निर्णय
परिक्रिया एवं केरा सेना का लक्या नही है।
प्रकरण में आराजी लला नम्बर 570 लका 036 है
जो विचारित है तथा जेसाणन का लक्या भी
गैरच पर नही है। अतः नामांतरण सर्व सम्मती
से खारिज क्रिमा गरा पंचायत को स्वीकार की।

प्रस्तुत राजीनामा में विनेनाथ एवं
सरपंच ग्राम पंचायत पालका ने अ.स.नं 570
वाले ग्राम पालका केने पर टोलील एवं भगवतेई
के द्वारा नाकर की कलन कोना एवं अदी का
लक्या करत सेना कलाच है। सरपंच ग्राम -
पंचायत पालका ने अपने निर्णय दि 20.8.11 में
लनं 570-036 को विचारित माना है कि भी उलका
निर्णय क्रिमा है जो विधि विरुद्ध है, विनयेत
नामां का निर्णय करने का अधिकार राजाच
अधिकारी (नहलीनर) को है। इस उका, सरपंच
ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित क्रिमा है जो
निर्णय क्रिमा गरी भैरप है। अतः आदेश है
कि - अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है
तथा सरपंच ग्राम पंचायत पालका द्वारा नामां
सं 1488 पर पारित निर्णय दि 20.8.11 निर्णय
क्रिमा जाता है तथा नहलीनर नगा की
निर्देशित क्रिमा जाता है कि नामां सं 1488

Handwritten signature or mark.

५५ लाख ००० रुपये
५५ लाख ००० रुपये

दुग्ध की कारखानी इतिहास का

कम्पन व कारखाने
अधीन जो दुग्ध
दुग्ध की कारखाने
जारी हुए

वार्दे गाँव पालका की कारखाने (अधीन)
के पक्ष में निर्माण कर राखने के
अधीन रहे। इस कारखाने के अधीन
सब तरह की कारखाने जो कारखाने हुए
जाले। पालकाने के सब दुग्ध को
दुग्ध रहे।

(अधीन कारखाने)
कारखाने
(अधीन कारखाने)
कारखाने
कारखाने
कारखाने
कारखाने